फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भंवरी देवी　　बनाम　　विपक्षी : श्री गैरूलाल

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम　　पत्रावली संख्या : 85/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। विपक्षी संख्या 8, 11 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 8, 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका हैं। अतः जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर विपक्षी संख्या 1 से 4, 6, 7 से 9, 12 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 13 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीया व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में अंकित होकर संयुक्त आधिपत्य में चली आ रही हैं। सभी पक्षकारों के मध्य मौखिक बंटवाडा होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग करते चले आ रहें मात्र राजस्व रेकर्ड में कानून बंटवाडा नहीं होने से प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अंकित हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाती होने से विपक्षीगण लडाई–झगडा करते हुये हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है साथ ही शांति पूर्वक कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहें है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण द्वारा कृषि कार्य में बाधा पेदा करना व हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का कथन कहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हक निहित हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (अ) की खाता संख्या नया 247 की आराजी नम्बर 1793, 1794, 1795 कुआ, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1977, 1978 किता 13 रकबा 5.5800 है. भूमि व परिशिष्ट (ब) की खाता संख्या नया 235 की आराजी नम्बर 332, 333, 334, 342 किता 4 रकबा 1.0400 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:51:22 IST
Reason: SelfAttested